कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1535 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 29– नवम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/149024/2021

सन्दर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/18/2023/ एफ.सी./1810 दिनांक 16.03.2023

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के क्रम में अवगतनीय है कि इस कार्यालय के पत्रांक 2546/12–1 दिनांक 14.06.2024 द्वारा ई0डी0एस0 के बिन्दु सं0 –01 व 02 की सूचना भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित की गयी थी। ई0डी0एस0 से सम्बन्धित बिन्दु संख्या– 03 व 04 की वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के पत्रांक 2280/12–1 दिनांक 17.05.2024 द्वारा प्रेषित सूचना को पूर्व में प्रेषित ई0डी0एस0 आपत्तियों की सूचना सहित संपूर्ण सूचना निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है : –

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तर
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. Therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। षासनादेष संख्या 8167/III(2)/18–15 (सामान्य) /2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्नक–1)** के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व0भू0– सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 **(संलग्नक–2)** में प्रदत्त निर्देषानुसार 7 मी0 चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई षासनादेष प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 67(आरक्षित वन भूमि–16, सिविल वन

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

	outlined in paragrabh 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	भूमि–28 एवं निजि स्वामित्व/नाप–23) है, जिनमें (0–10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है। उक्त व का सम्पूर्ण विवरण पार्ट–II के पैरा–4 में अंकित किया गया है तथा प्रमाण पत्र पैरा–13 में अपलोड किये गये है।
4	The state Govt is requested to submit a plantaion scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण के एवज में 455 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 0.455 है0 रूद्रप्रयाग रिजर्व क0 सं0–1 आरक्षित वन का चयन कर वृक्षारोपण योजना, **(संलग्नक–3)** गूगल मानचित्र, **(संलग्नक–4)** एवं के0एम0एल0 फाईल **(संलग्नक–5 ई–मेल द्वारा)** संलग्न कर प्रेषित है।

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा प्रेषित सूचना/आख्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–1535/12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 2280 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, 17 ,2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/149024/2021**

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/18/2023/ एफ.सी./1810 दिनांक 16.03.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार स्तर से चाही गई सूचना अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 117/16सी0 दिनांक 01.05.2024 से प्रभागीय कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–। के Additional information detail के क्र0स0–37 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/।।।(2)/18–15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्नक–1)** के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व0भू0–सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 **(संलग्नक–2)** में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी० चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

3	The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 67 (आरक्षित वन भूमि–16, सिविल वन भूमि–28 एवं निजी स्वामित्व/नाप–23) है, जिनमें (0–10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है। उक्त वृक्षों का सम्पूर्ण विवरण पार्ट–।। के पैरा–4 में अंकित किया गया है तथा प्रमाण पत्र पैरा–13 में अपलोड किये गये हैं।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3663/12–1(2) दिनांक 13.05.2024 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण के एवज में 455 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 0.455 है0 रुद्रप्रयाग रिजर्व क0सं0–1 आरक्षित वन का चयन कर वृक्षारोपण योजना, **(संलग्नक–3)** गूगल मानचित्र, **(संलग्नक–4)** एवं के0एम0एल0 फाईल **(संलग्नक–5 ई–मेल द्वारा)** संलग्न कर प्रेषित है।

<u>**संलग्नकः– यथोपरि।**</u>

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 3663 / 12-1(2) दिनांक 13/05/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय– **जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO. - FP/UK/ROAD/149024/2021

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–08बी./यू.सी.पी./06/18/2023/एफ.सी./1810 दिनांक 16.03.2023 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या–2268/FP/UK/ROAD/149024/2021 दिनांक 29.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–117/16सी0 दिनांक 01.05.2024 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट–I के Additional information detail के क्र0सं0–37 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि–बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18–15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्नक–1)** के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि–मुख्य अभियन्ता स्तर–I लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व0भू0–सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 **(संलग्नक–2)** में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी0 चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed to be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	प्रकरण में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 67 (आरक्षित वन भूमि–16, सिविल वन भूमि–28 एवं निजी स्वामित्व/नाप–23) है, जिनमें (0–10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है। उक्त वृक्षों का सम्पूर्ण विवरण पार्ट–II के पैरा–4 में अंकित किया गया है तथा प्रमाण पत्र पैरा–13 में अपलोड किये गये हैं।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	प्रकरण के एवज में 455 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 0.455 है0 रूद्रप्रयाग रिजर्व क0सं0–1 आरक्षित वन का चयन कर वृक्षारोपण रोजना, **(संलग्नक–3)** गूगल मानचित्र, **(संलग्नक–4)** एवं के0एम0एल0 फाईल **(संलग्नक–5 ई–मेल द्वारा)** संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में)

भवदीय,
(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या – 3663 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के सूचनार्थ प्रेषित।

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 1117 /16सी० दिनांक 01 /05/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/149024/2021)।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/18/2023/एफसी/1810 दिनांक 16.03.2023।

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्तियों का संशोधित बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है–

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18–15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 (प्रति सलग्न–02) के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715/01 व0भू0– सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी० चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। (प्रति संलग्न–01) वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed tol be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 67 है, जिसमें (0–10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	वन विभाग से अपेक्षित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

01-05-24

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1 अपर प्रमुख एव नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फारस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2 सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

दिनांक 01 /05/ 2024

पत्र संख्या 1117 / 16सी०

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online proposal No. FP/UK/ROAD/149024/2021)।

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी / यूसीपी / 06 / 18 / 2023 / एफसी / 1810 दिनांक 16.03.2023।

महोदय,

उक्त वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्तियों का संशोधित बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है–

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The beneficiary village is already situated along an existing road. therefore, the State Government is requested to provide the path distance of the village (which marks the endpoint of the proposed road) from the nearest existing road and justify this proposal in accordance with the relevant norms.	बर्सू ग्राम existing road पर नहीं पड़ता है, बल्कि existing road से गांव की ऊर्ध्वाधर दूरी लगभग 105 मीटर है। इस हेतु गांव को वर्तमान मानकों के अनुसार ही मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है। शासनादेश संख्या 8167 / III(2) / 18–15(सामान्य) / 2018 दिनांक 31.12.2018 (प्रति सलग्न–02) के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय, चूंकि विषयगत गांव निर्धारित 100 मीटर की दूरी से बाहर है अतः ग्राम बर्सू मोटर मार्ग से संयोजित नहीं है।
2	If the proposed road is intended to connect to a location deep within the village, then as recommended by the DFO the proposal be revised to a 3-meter-wide jeep road.	मुख्य अभियन्ता स्तर–। लो0नि0वि0 देहरादून के पत्र संख्या 1715 / 01 व0भू0– सामान्य–10 दिनांक 02.12.2010 में प्रदत्त निर्देशानुसार 7मी0 चौडाई में वृक्षों की गिनती की गई है। (प्रति संलग्न–01) वर्तमान में जीप रोड बनाने हेतु कोई शासनादेश प्रचलित नहीं है सामान्यतय 5.95 मीटर चौडाई में ही पहाड कटान कर मार्ग का निर्माण किया जाता है।
3	The details of the saplings that are proposed tol be affected in the project, as outlined in paragraph 4 of the Part II and the Tree enumeration list, have not been provided. Therefore, the State Govt is requested to provide these details.	उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 67 है, जिसमें (0–10 व्यास वर्ग) Saplings वाले वृक्षों की संख्या शून्य है।
4	The state Govt is requested to submit a plantation scheme for planting 455 plants in an area of 0.455 ha. This scheme should include all necessary details such as a KML file, digital map, and so on.	वन विभाग से अपेक्षित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

संख्या : 2167 / III(2) / 10–18(सामान्य) / 2010

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक : 3/ दिसम्बर, 2018

लोक निर्माण विभाग–2

विषयः **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय–व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :–

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गो को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नही है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी०सी० टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

मो० प्रति सत्यापित

Ady

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

क्रमशः.......पृष्ठ 2 पर

Scanned with CamScanner

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौडाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौडाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यो हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 53 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यो, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

क्रमशः.......पृष्ठ 3 पर

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

दिनांक– 02/12/10

पत्रांक– 1715 /01व0गू0–सागान्त–10
सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, (ग0/कु0 क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषयः– स्वीकृत मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मीटर चौडाई में प्रेषित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा नोडल अधिकारी वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशो का उल्लेख करते हुए वन भूमि हस्तानन्तरण के प्रस्ताव 07 मी0 चौडाई में प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है, साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव इससे अधिक 12 मी0 एवं 09 मी0 चौडाई के प्रेषित किये जाने पर काफी अधिक वृक्षों के पातन के साथ–साथ प्रस्ताव प्रेषित करने में ही खीचंतान होने से प्रस्ताव स्वीकृत होने में काफी विलम्ब होता है ।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी मार्ग निर्माण मे वन भूमि प्रस्ताव हेतु मार्ग की चौड़ाई (Row) 9 मी0 ली जाय व मार्ग में पडने वाले पेड़ों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की जायेगी । उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

प्रतिलिपिः– श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उनके पत्र स0 3553 दिनांक 16.11.2010 के कम में सूचनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, ...वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

मुख्य अभियन्ता स्तर–1

58
10/01

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
10 JAN 2011

मा0ता0 (L.A.)

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

संलग्नक-4

परियोजना का नाम :–जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना–बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का विवरण। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/149024/2021**

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम :– रुद्रप्रयाग रिजर्व क0सं0–3 आरक्षित वन भूमि।
क्षेत्रफल :– सकल–0.90 है0, शुद्ध–0.455 है0

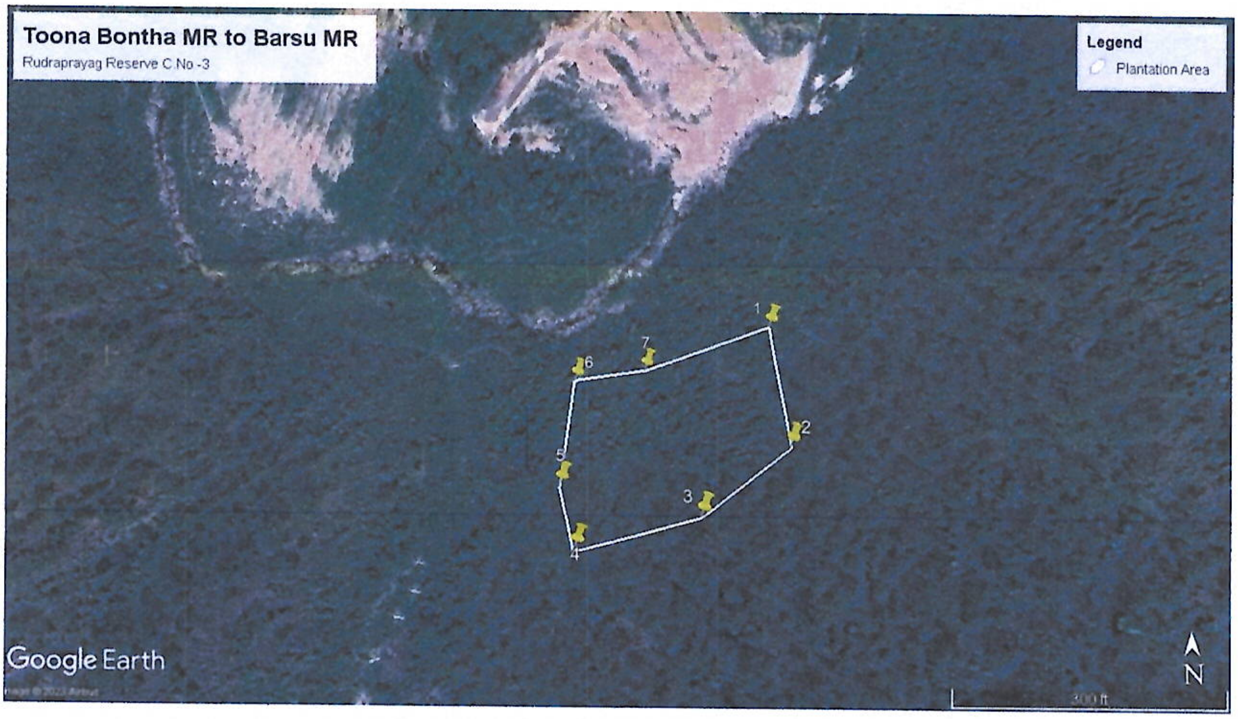

G.P.S. Coordinates

	Latitude	Longitude
1-	30°16'12.76"N	78°58'58.07"E
2-	30°16'10.60"N	78°58'58.13"E
3-	30°16'9.53"N	78°58'56.47"E
4-	30°16'9.05"N	78°58'54.19"E
5-	30°16'10.05"N	78°58'53.89"E
6-	30°16'11.88"N	78°58'54.17"E
7-	30°16'12.04"N	78°58'55.57"E

R.O.

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :— जनपद—रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

संलग्नक –③

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम – रूद्रप्रयाग रिजर्व कक्ष संख्या–1 रेपण क्षेत्रफल– 0.455 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या– 455 पौध

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रू०	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	0.455	है०	1118.00	508.69
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि)	0.455	है०	1908.06	868.17
3	ट्री–गार्ड क्रय	455	न०	1556.00	707980.00
5	गड्ढो का खुदान (0.30×0.30×0.45) मी०	455	प्रति सै०	1247.84	5677.67
6	पौधों का मूल्य	455	प्र०सं०	19.00	8645.00
7	कण्टूर नाली खुदान मय सीमांकन सहित	107	प्र०र०मी०	105.83	11323.81
	योग– प्रथम चरण				**735003.34**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य 0.30×0.30×0.45) मी०	455	प्रति सै०	226.88	1032.30
2	पौधों का मूल्य	455	सं०	2.26	1028.30
3	पौध ढुलान कार्य (साईज 8"×5")	455	प्रति सै०/प्रति किमी०	234.00	1064.70
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	455	सं०	453.76	2064.61
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	455	सं०	5.84	2657.20
6	खाद/रसायन	455	सं०	0.35	159.25
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है०	0.455	है०	1908.06	868.17
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	0.455	ल०स०	1000.00	1000.00
	योग–द्वितीय चरण				**15334.53**
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है०	0.455	है०	1908.06	868.17
3	अन्य कार्य	-	-	-	-
	योग				**6328.17**
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
	योग				**5460.00**

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का पाँचवे वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का नववां वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
वृक्षारोपण का दसवां वर्ष का रख–रखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.455	प्र० है०/माह	1000.00	5460.00
2	अन्य कार्य	-	-	-	-
योग					5460.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत–					805806.04
या					805805.00

अनुभाग अधिकारी
रूद्रप्रयाग/पोखरसारी अनुभाग

राजि अधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उपयुक्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.06.2023 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अनुभाग अधिकारी रूद्रप्रयाग/पोखरसारी एवं वन आरक्षी, रूद्रप्रयाग को साथ में लेकर जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष आरक्षित वन में 455 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 0.455 है० भूमि का चयन करने हेतु रूद्रप्रयाग रिजर्व कक्ष संख्या–1 का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया।

वन क्षेत्राधिकारी
रूद्रप्रयाग रेन्ज

अनुभाग
रूद्रप्रयाग/पोखरसारी
अनुभाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग